पत्रांक [illegible] 2014

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बलिराम प्रसाद,
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक........................2014

विषय :- **St. Stephen's School, Gospur Road, Dalsing Sarai, Distt-Samastipur** को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **St. Stephen's School, Gospur Road, Dalsing Sarai, Distt-Samastipur** को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **Nishant Educational and Social Welfare Trust** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 02 एकड़ भूमि 50 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 22 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–236, दिनांक 04.04.2006 में उल्लिखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है।

P.T.O

अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lotsके माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णसानुसार **St. Stephen's School, Gospur Road, Dalsing Sarai, Distt-Samastipur** को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(बलिराम प्रसाद)

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक............................ पटना, दिनांक.....................2014

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, **समस्तीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 477 पटना, दिनांक 28/6/2014

प्रतिलिपि : प्राचार्य, **St. Stephen's School, Gospur Road, Dalsing Sarai, Distt-Samastipur** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

8. नर्सरी, के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन के लिए अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

9. विद्यालय में नर्सरी, के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाय।

10. जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गयी निबंधन तथा आवेदन शुल्क (प्रोसपेक्टस सहित) का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

अनापत्ति पत्र वापस लेने/संबद्धन रद्द करने संबंधी

11. "शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध शिकायतों की सम्पुष्टि के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने तथा यथा आवश्यक संबद्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार सी०बी०एस०सी०/आई०सी०एस०सी० को अनुशंसा भेज सकेगी।"

12. अगर विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य अथवा शिक्षक बच्चों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपराधिक प्रकृति के हैं तथा जिनसे बच्चों के मानवीय अधिकारों (Human Rights) का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में जाँचोपरांत संबंधित विद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा अथवा यथा आवश्यक संबद्धन रद्द करने की अनुशंसा की जायगी।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 238 पटना, दिनांक 3 ~~मार्च~~ अप्रैल-06 ~~06~~

प्रतिलिपि विभाग के सभी निदेशक/ उप शिक्षा निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक– 238 पटना, दिनांक 3 ~~मार्च~~ अप्रैल 06

प्रतिलिपि अध्यक्ष, सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली/सचिव, सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आई०सी०एस०ई० नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित।

PRINCIPAL
ST. STEPHEN'S SCHOOL
GOSPUR ROAD, DALSINGH SARAI
SAMASTIPUR, BIHAR-848114

सरकार के अपर सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग।

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 13/म4–34/99–238 राज्य सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग) के कार्यालय आदेश संख्या–720 एवं 721 दिनांक 26.7.99 के द्वारा कमशः सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से निजी विद्यालय के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के शर्त्ते निर्धारित की गयी थी। विधान मंडल में निजी विद्यालयों के प्रबंधन तथा किया–कलाप में माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति और निजी विद्यालयों के संबंध में विधान सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नलिखित नीतिगत शर्त्ते निर्धारित करने का निर्णय लिया है:–

अनिवार्य शर्त्ते

1. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अथवा ट्रस्टीशीप एक्ट के तहत निबंधित होना चाहिए। निबंधित सोसाईटी/ न्यास में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरुप विद्यालय प्रबंधन को सोसायटी/न्यास के प्रत्येक सदस्य का नाम,पूरा पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं0 तथा आपस में सभी सदस्यों के संबंध है, की सूचना सार्वजनिक करनी होगी।

2. विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसायटी/न्यास के franchise के रुप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के brand/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नहीं करेगा।

3. विद्यालय के पास भूमि, भवन, कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्त्तो के अनुरुप होगा।

4. शिक्षक योग्यता/प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) मापदंडों के अनुरुप होगा तथा उनकी नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रकिया से किये जाने की अपेक्षा होगा।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रुप से पढ़ाया जायगा।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क (fees/charges) वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किया जायगा, अर्थात उसे "सूचना पट पर" निकाला जायगा तथा शिक्षक–अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

PRINCIPAL
ST. STEPHEN'S SCHOOL
GOSPUR ROAD, DALSINGH SARAI
SAMASTIPUR, BIHAR-848114

अपेक्षित शर्त्ते

इसके अलावे निम्नलिखित शर्त्ते यद्यपि बाध्य नही होगें, परन्तु राज्य तथा बच्चों के हित मे सरकार अपेक्षा करेगी कि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय उसे स्वीकार करे। इसके लिए स्कूल प्रबंधको की सहमति माँगी जायगी।

7. विद्यालय मे क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस निवास करने वाले परिवार के बच्चो का निशुल्क किया जायगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकलांग बालिकाऐ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रू0 प्रतिवर्ष होगा।